क्रमांक 1269-ज-(I)-83/39702.—श्री फकीर सिंह, पुत्र श्री भाग सिंह, गांव बराड़ा, तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 28 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री फकीर सिंह की मुल्लिग 350 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5142 -जे. एन.-III-66/10589, दिनांक 7 जून, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 व क्रमांक 1780-ज-I-79/44046, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति कर्मकौर, के नाम रबी, 1982 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1379-ज-(I)-83/39706.—श्री गणपत राम, पुत्र श्री बदलू, गांव खेड़ला, तहसील व जिला गुड़गांवा की दिनांक 11 अगस्त, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप, हरियाणा, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणपतराय की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूरना क्रमांक 3442-र-(I)-69/28381, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 व 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति भगवानी के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1069-ज-(II)-83/39710.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जुग लाल, पुत्र श्री लाला गांव जहादपुर तहसील झज्जर जिला रोहतक को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1413-ज-I-83/39714.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री त्रिलोक सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, गांव नसडौली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को खरीफ 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक, तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 1 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1210-ज-(I)-83/39801.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री प्यारा सिंह, पुत्र श्री वरयाम सिंह, गांव मण्डवाल, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1975 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये, वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सदन में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1207-ज-(I)-83/39806.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री सरवन लाल, पुत्र श्री बिशन दास, गांव कम्बासी, तहसील/जिला अम्बाला को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनदमें दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1384-ज-(I)-83/39810.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधिन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये, अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री पूरन सिंह, पुत्र श्री मूलाराम, गांव पटौदा खेड़ा, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांवा को खरीफ 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की मतकी युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।